# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 1051/2024**

रामराज गुर्जर –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अधीक्षण अभियन्ता, (ओ एंड एम) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिडेट, खेरड़ा पॉवर हाऊस, टोंक सवाई माधोपुर।
3. सहायक अभियन्ता, (ओ एंड एम), जयपुर डिस्कोम, बौंली, सवाईमाधोपुर।

–प्रत्यर्थीगण

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 28.02.2024
**आदेश की दिनांक** : 18.03.2024

**उपस्थित –**
अपीलार्थी की ओर से : श्री पवन गौड़, अधिवक्ता

**समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि वर्तमान में तकनीशियन–ाा, सहायक अभियन्ता (ओ एंड एम) जे.पी.डी., बौंली, सवाईमाधोपुर में दिनांक 16.08.2023 से स्टोर सेक्शन में स्टोर कीपर के रूप में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का आवंटन इन्चार्ज स्टोर कीपर से फीडर इन्चार्ज बांस टोरडा में परिवर्तित किया गया। अपीलार्थी अपने ड्यूटी स्थान बांस टोरडा से ए.ईएन. कार्यालय, बौंली तक यात्रा करते समय दुर्घटना का शिकार हो गया। दुर्घटना में अपीलार्थी के दाहिने पैर में कई फैक्चर/चोटें आई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बौंली में प्राथमिक उपचार के बाद, उसे उच्च उपचार केन्द्र के लिए रेफर किया गया (अनुलग्नक–2)। डॉ0 की सलाह से प्रत्यर्थी संख्या–3 ने दिनांक 16.08.2023 (अनुलग्नक–3) द्वारा 11 केवी फीडर बांस टोरडा के स्थान पर स्टोर कीपर के रूप में लगाया गया। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 26.02.2024 (अनुलग्नक–4) द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया परन्तु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को निरन्तर स्टोर कीपर के रूप में निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी के पूर्व में हुये एक्सीडेंट की वजह से अपीलार्थी के एक पैर में रोड/प्लेट लगाई गई है, जिसके कारण अपीलार्थी फिजिकल कार्य जैसे खम्बे पर उतरना/चढना में पूर्णतया असमर्थ है। अतः उपर्युक्त मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दो सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अभ्यावेदन को किसी विशिष्ठ ढंग/रिती से निस्तारित करने का निर्देश नहीं दे रहा है। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की उक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत नियमानुसार नियत समयावधि में अभ्यावेदन का निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**